

गझे प्राप्तिना - पत्र में अफिद खंडूडी
को पढकर सुनाया गया परकारने
द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई
दोनों पक्षकारान सहमत हैं प्राप्तिना -
पत्र में वादी इस प्रकार को आगे
नहीं चलाना चाहते हैं अतः वाद
को खारिज करने हेतु निवेदन किया।
अतः पत्रवली वादीगण द्वारा प्रस्तुत
प्राप्तिना - पत्र के आधार पर पत्रवली
खारिज की जाती है वाद समाप्त
किया जाता है पत्रवली फसल शुमार
दोकर नम्बर से कम की जावे।
निर्णय आज दिनांक 10-11-2021 को
सरे वजलास सुनाया गया।

उप हाण्ड अधिकारी
मंगरोल जिला बारा (राज०)